

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम- निम्बाहेडा (राज0)

प्रकरण संख्या पत्थरगढी 102 /2022

दिनांक:- 23-5-22

वजेराम पुत्र भेरा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी करथाना तह0
निम्बाहेडा राज0

.....प्रार्थी

//बनाम//

1. जमनीबाई पत्नी नानालाल जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी
करथाना तह0निम्बाहेडा राज0
2. कैलाशी पत्नी नारायण जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी करथाना
तह0निम्बाहेडा राज0

.....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

प्रेषिति- श्री तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मोजा करथाना प0ह0 बडोलीघाटा तह0निम्बाहेडा में खाता सं0 276 की आराजी नं0 505 रकबा 0.3800 हेक्टैयर, आ0नं0 506 रकबा 0.6700 हेक्टैयर, आराजी नं0 508 रकबा 0.9400 हेक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9900 हेक्टैयर स्थित स्थित हैं। इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुँच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फिस पत्थरगढी रूपया 1000 /- प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक को पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 23-5-22 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय के जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

